आदेश

पुलिस महानिदेशक/प्रधानाचार्य, पुलिस प्रशिक्षण, महाविद्यालय मुरादाबाद के पत्र संख्या–प–19/2020 दिनांक 22.06.2021 के माध्यम से मृतक आश्रित उपनिरीक्षक ना0पु0 वर्ष–2020 बैच के अन्तर्गत आधारभूत प्रशिक्षण में उत्तीर्ण घोषित हुये निम्नलिखित उपनिरीक्षक प्रशिक्षुओं को उनके नाम के सम्मुख अंकित जनपद में आगमन की तिथि से उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर सातवें वेतन आयोग की संस्तुति के आधार पर ग्रेड वेतन रू0:– 4200/– का न्यूनतम वेतन रू0: 35400–00 में अस्थाई रूप से नियुक्ति प्रदान की जाती है। यह नियुक्ति मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली एवं मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद/लखनऊ खण्डपीठ लखनऊ में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगी।

उपनिरीक्षक ना0पु0 कैडटों को आवंटित जनपद में आगमन करने की तिथि से दो वर्ष के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा, जिनके द्वारा नियमानुसार दो वर्ष का परिवीक्षाकाल सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर ही स्थाईकरण किया जायेगा। एक वर्ष के व्यवहारिक प्रशिक्षण की अवधि में सम्बन्धित कर्मी को आवंटित जनपद से सामान्यतः स्थानान्तरित नहीं किया जायेगा।

क्र0 सं0	चेस्ट नं0	अभ्यर्थी का नाम	पिता का नाम	गृह जनपद	आवंटित जनपद	भर्ती की श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7
1	38	संजय यादव	स्व0 श्री राजवीर सिंह	ETAWAH	MATHURA	मृतक आश्रित

(रवि शंकर छवि)
पुलिस उपमहानिरीक्षक, स्थापना,
उत्तर प्रदेश।

DGP HQRS UP LKW

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

संख्याःपांच–111–(मृ0आ0–उ0नि0)–2019)/2021 1274 दिनांकःजून 25,2021

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– पुलिस महानिदेशक, प्रशिक्षण, पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया जनपदों को आवंटित मृतक आश्रित महिला उपनिरीक्षक ना0पु0 कैडटो के व्यवहारिक प्रशिक्षण का कार्यक्रम अपने स्तर से सम्बन्धित जनपदों को उपलब्ध कराने की कृपा करें।

2– अध्यक्ष, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एंव प्रोन्नति बोर्ड, उ0प्र0 लखनऊ को सादर सूचनार्थ।

3– पुलिस महानिदेशक/प्रधानाचार्य, पुलिस प्रशिक्षण, महाविद्यालय मुरादाबाद के पत्र संख्या–प–19/2020 दिनांक 22.06.2021 के कम में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

4– अपर पुलिस महानिदेशक, आगरा जोन ।

6– परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक, आगरा को इस अनुरोध से उपरोक्त मृतक आश्रित उपनिरीक्षक प्रशिक्षु उनसे सम्बन्धित मूल अभिलेखों को परिक्षेत्र स्तर से किसी जिम्मेदार अधिकारी के माध्यम से

वाहन भेजकर पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद से प्राप्त कराकर परिक्षेत्र के जनपदों में भिजवाने का कष्ट करें, साथ ही इस प्रशिक्ष को लाते समय वाहन को सेनेटराइजेशन व सोशल डिस्टेंसिग का विशेष रूप से पूरा पालन किया जायेगा तथा कर्मी फेस मास्क का प्रयोग अवश्यमेव करेगें। इस प्रशिक्षु के आगमन के उपरान्त पुलिस अस्पताल/जिला अस्पताल से चिकित्सीय परीक्षण अवश्य करा लिया जाये।

7– वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद मथुरा को सूचनार्थ एवं इस आशय से कि उपरोक्त प्रशिक्षाणाधीन उपनिरीक्षक ना0पु0 से सम्बन्धित मूल अभिलेख सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्था से प्राप्त कर उनके मिलान के उपरान्त ही अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही करेंगें। यदि मूल अभिलेखों के मिलान से कोई भिन्नता पायी जाती है तो तत्काल इस मुख्यालय को अवगत करायेगें। व्यवहारिक प्रशिक्षण के दौरान इस कर्मी को प्रशिक्षण निदेशालय से प्राप्त दिशा–निर्देश/रोस्टर के अनुसार ही थानों/कार्यालय में व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाये, प्रशिक्षण कार्यक्रम से इतर किसी भी कर्मी को किसी अन्य स्थान पर नियुक्त/सम्बद्ध कदापि न किया जाये। उपरोक्त आवंटित उपनिरीक्षक प्रशिक्षु यदि नियमों के विपरीत जनपद आवंटित हो गया हो तो उसकी सूचना परिक्षेत्र/जोनल स्तर को प्रेषित करते हुये अन्यत्र स्थानान्तरित किये जाने हेतु अनुरोध करने एवं कृत कार्यवाही से इस मुख्यालय को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

<u>संख्या तथा दिनांक वही</u>

1– **प्रतिलिपिः**– अपर पुलिस महानिदेशक, स्थापना उ0प्र0 लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

2– **प्रतिलिपिः**– पुलिस अधीक्षक, कार्मिक, उत्तर प्रदेश लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

DGP HQRS UP LKW